

19. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vii) में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

धारा 36 का संशोधन।

(i) उपखंड (क) में, —

(अ) “पांच प्रतिशत से अनधिक” शब्दों के स्थान पर, “साढ़े सात प्रतिशत से अनधिक” शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

5 ‘परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व समाप्त होने वाले सुसंगत निर्धारण वर्षों के लिए प्रथम परंतुक के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दस प्रतिशत” शब्द रखे गए हों।’;

(ii) उपखंड (ग) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

10 “परंतु यह कि इस उपखंड में निर्दिष्ट कोई लोक वित्तीय संस्था या कोई राज्य वित्तीय निगम अथवा कोई राज्य औद्योगिक विनिधान निगम को उनके विकल्प पर 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व समाप्त होने वाले दो क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों में से किसी वर्ष के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शंकास्पद आस्तियों या हानि आस्तियों के रूप में इस निमित्त जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकृत किसी आस्ति के लिए इसके द्वारा बनाए गए किसी उपबंध की बाबत, पूर्ववर्ष के अंतिम दिन, यथास्थिति, ऐसी संस्था या निगम के खातों में दर्शित ऐसी आस्तियों की रकम के दस प्रतिशत से अनधिक रकम की कटौती अनुज्ञात होगी।”।

15 20. आय-कर अधिनियम की धारा 40 में,—

धारा 40 का संशोधन।

(i) खंड (क) के उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2003 से अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(v) धारा 10 के खंड (10ग) में निर्दिष्ट किसी नियोजक द्वारा वास्तव में संदत्त कोई कर ;”;

(ii) खंड (ख) के उपखंड (iv) में, “अठारह प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “बारह प्रतिशत” शब्द, 1 जून, 2002 से रखे जाएंगे।

20 21. आय-कर अधिनियम की धारा 43क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2003 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 43क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

‘43क. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारिती ने अपने कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर के किसी देश से किसी पूर्ववर्ष में कोई आस्ति अर्जित की है और ऐसी आस्ति के अर्जन के पश्चात् पूर्ववर्ष के दौरान विनिमय की दर में किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप—

(क) उस आस्ति की संपूर्ण लागत या उसके किसी भाग के मदे ; या

25 (ख) ऐसे संपूर्ण धनों या उसके किसी भाग का, ब्याज सहित, यदि कोई हो, प्रतिसंदाय करने के लिए, जो विनिर्दिष्टतया उस आस्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी करेंसी में किसी व्यक्ति से उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उधार ली गई है,

संदाय करते समय भारतीय करेंसी में यथाअभिव्यक्त निर्धारिती का दायित्व बढ़ जाता है या घट जाता है (आस्ति के अर्जन के समय विद्यमान दायित्व के मुकाबले) वहां उतनी रकम जिस तक पूर्वोक्त दायित्व ऐसे पूर्ववर्ष में इस प्रकार बढ़ा या घटा है और जो निर्धारिती द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति को विचार में लिए बिना संदाय करते समय हिसाब में ली गई है, निम्नलिखित में, यथास्थिति, जोड़ दी जाएगी या उसमें से काट ली जाएगी,—

(i) धारा 43 के खंड (1) में यथापरिभाषित आस्ति की वास्तविक लागत ; या

(ii) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट पूंजीगत व्यय के प्रकार की रकम ; या

(iii) धारा 35क में निर्दिष्ट पूंजीगत व्यय के प्रकार की व्यय की रकम ; या

35 (iv) धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ix) में निर्दिष्ट पूंजीगत व्यय के प्रकार की व्यय की रकम ; या

(v) धारा 48 के प्रयोजनों के लिए पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत (जो धारा 50 में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति नहीं है),

और ऐसे जोड़ने या काटने के पश्चात् परिकलित रकम के बारे में यह माना जाएगा कि वह उस आस्ति की वास्तविक लागत या, यथास्थिति, पूंजीगत व्यय के प्रकार की व्यय की रकम या यथापूर्वोक्त पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत है।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

40 (क) “विनिमय दर” से भारतीय करेंसी के विदेशी करेंसी में या विदेशी करेंसी के भारतीय करेंसी में परिवर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित या मान्य विनिमय की दर अभिप्रेत है ;

1999 का 42

(ख) “विदेशी करेंसी” और “भारतीय करेंसी” के वे ही अर्थ हैं जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।

45 **स्पष्टीकरण 2**—जहां संपूर्ण पूर्वोक्त दायित्व या उसके किसी भाग की पूर्ति निर्धारिती द्वारा नहीं किन्तु प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा की जाती है वहां इस प्रकार पूरे किए गए दायित्व को इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

1999 का 42

50 **स्पष्टीकरण 3**—जहां निर्धारिती ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी प्राधिकृत व्योहारी के साथ कोई संविदा उसे विदेशी करेंसी में एक विनिर्दिष्ट राशि का प्रदाय नियत किसी भावी तारीख को या उसके पश्चात् ऐसी विनिमय की दर पर करने के लिए की है जो संविदा में विनिर्दिष्ट हो जिससे कि वह संपूर्ण पूर्वोक्त दायित्व या उसके किसी भाग की पूर्ति करने में समर्थ हो सके वहां इस उपधारा के अधीन आस्ति की वास्तविक लागत या पूंजीगत व्यय के प्रकार की व्यय की रकम या, यथास्थिति, पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत में जोड़ी जाने वाली या उसमें से काटी जाने वाली रकम, यदि कोई हो, संविदा में विनिर्दिष्ट राशि के इतने भाग की बाबत जितना पूर्वोक्त दायित्व के निर्वहन के लिए उपलब्ध हो, उससे विनिर्दिष्ट विनिमय की दर के प्रति निर्देश से संगणित की जाएगी।’।

धारा 44कड का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 44कड की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

(क) खंड (i) में, “दो हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “तीन हजार पांच सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में, “एक हजार आठ सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “तीन हजार एक सौ पचास रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 47 का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (xv) में, “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक” शब्द, अंक और कोष्ठक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

1992 का 15

5 1934 का 2

नई धारा 50ग का अंतःस्थापन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 50ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय दशाओं में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध।

‘50ग. (1) जहां निर्धारिती द्वारा, किसी पूंजीगत आस्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल ऐसे अंतरण की बाबत स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में “स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी” कहा गया है) अंगीकार किए गए या निर्धारित मूल्य से कम है तो इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां,—

(क) किसी निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारिती यह दावा करता है कि उपधारा (1) के अधीन स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित मूल्य अंतरण की तारीख को संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से अधिक है ;

(ख) उपधारा (1) के अधीन स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य किसी अपील या पुनरीक्षण में विवादित नहीं है या किसी अन्य प्राधिकारी, न्यायालय, उच्च न्यायालय के समक्ष कोई निर्देश नहीं किया गया है,

वहां निर्धारण अधिकारी, पूंजीगत आस्ति के मूल्यांकन को किसी मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और जहां ऐसा कोई निर्देश किया जाता है वहां धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 16क की उपधारा (2), (3), (4), (5) और (6), धारा 23क की उपधारा (1) का खंड (i) और उपधारा (6) और (7), धारा 24 की उपधारा (5), धारा 34कक, धारा 35 और धारा 37 के उपबंध, आवश्यक उपांतरणों सहित ऐसे निर्देश के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम की धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्देश के संबंध में लागू होते हैं ।

1957 का 27

20

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “मूल्यांकन अधिकारी” का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (द) में है।

1957 का 27

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित मूल्य उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित मूल्य से अधिक है वहां ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल का पूरा मूल्य माना जाएगा ।’।

25

धारा 54डग का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 54डग में, अंत में आने वाले स्पष्टीकरण के खंड (ख) में, उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् ।”।

30

1987 का 53

1989 का 39

धारा 70 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2003 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

आय के एक ही शीर्ष के अधीन एक स्रोत से होने वाली हानि का दूसरे स्रोत से होने वाली आय के प्रति मुजरा किया जाना ।

‘70. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जहां “पूँजी अभिलाभ” शीर्ष से भिन्न आय के किसी शीर्ष के अधीन आने वाली किसी स्रोत की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम परिणाम हानि है, वहां निर्धारिती इसका हकदार होगा कि वह ऐसी हानि की रकम का मुजरा उसी शीर्ष के अधीन किसी अन्य स्रोत से होने वाली अपनी आय के प्रति करा ले ।

35

(2) जहां किसी अल्पकालिक पूँजी आस्ति की बाबत धारा 48 से धारा 55 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए की गई संगणना का परिणाम कोई हानि है वहां निर्धारिती इसका हकदार होगा कि वह ऐसी हानि की रकम का मुजरा ऐसी आय, यदि कोई हो, के प्रति करा ले, जो किसी अन्य पूँजी आस्ति की बाबत निर्धारण वर्ष के लिए की गई उसी प्रकार की संगणना के अधीन आती है ।

40

(3) जहां (किसी अल्पकालिक पूँजी आस्ति से भिन्न) किसी पूँजी आस्ति की बाबत धारा 48 से धारा 55 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए की गई संगणना का परिणाम कोई हानि है वहां निर्धारिती इसका हकदार होगा कि वह ऐसी हानि की रकम का मुजरा ऐसी आय, यदि कोई हो, के प्रति करा ले, जो किसी अन्य पूँजी आस्ति की बाबत, जो कोई अल्पकालिक पूँजी आस्ति नहीं है, निर्धारण वर्ष के लिए की गई उसी प्रकार की संगणना के अधीन आती है ।’।

धारा 72क का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 72क की उपधारा (7) के खंड (कक) में, उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

45

“(iii) दूर-संचार सेवाओं को उपलब्ध कराने का कारबार, चाहे वे आधारीक हों या सैलुलर, जिनके अंतर्गत रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा, ट्रंक नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं हैं ; या ”।

धारा 74 का संशोधन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 74 में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

50

‘(1) जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत “पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन संगणना का अंतिम परिणाम निर्धारिती को हानि है, वहां संपूर्ण हानि, इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रानीत की जाएगी, और—

(क) जहां तक ऐसी हानि का संबंध किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति से है, वहां इसका मुजरा ऐसी आय के प्रति, यदि कोई हो, किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय “पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन किया जाएगा ;

- 5 (ख) जहां तक ऐसी हानि का संबंध किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति से है, वहां इसका मुजरा ऐसी आय के प्रति, यदि कोई हो, किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत, जो अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है, उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय “पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन किया जाएगा ;

(ग) यदि हानि का मुजरा पूर्णतया इस प्रकार नहीं किया जा सकता है तो हानि की ऐसी रकम जिसका मुजरा इस प्रकार नहीं किया जा सका है, अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रणीत की जाएगी और इसी प्रकार आगे भी किया जाता रहेगा ।’;

(ख) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

- 10 29. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5ग) में 3 फरवरी, 2001 से,—

धारा 80छ का संशोधन।

(क) आरंभिक भाग में, “इस उपधारा” शब्दों के स्थान पर “इस धारा” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) खंड (iii) में, “31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “31 मार्च, 2003 को या उससे पूर्व” अंक और शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ग) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

- 15 “(iv) 31 मार्च, 2003 को उपयोग न की गई शेष संदान की रकम, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में, 31 मार्च, 2003 को या उससे पूर्व अंतरित हो जाती है । ” ;

(घ) खंड (v) में, “30 जून, 2002 को या उससे पूर्व” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “30 जून, 2003 को या उससे पूर्व” अंक और शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

- 20 30. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक की उपधारा (2) में 1 अप्रैल, 2003 से,—

धारा 80छछक का संशोधन ।

- (i) खंड (ग) के आरंभिक भाग में, “निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में किसी संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण पर कोई कार्यक्रम चलाना है, धारा 35गगख के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उपयोग करने के लिए संदत्त कोई राशि” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्ववर्ष में किसी संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण पर कोई कार्यक्रम चलाना है, धारा 35गगख के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उपयोग करने के लिए संदत्त कोई राशि” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

- (ii) खंड (गग) के आरंभिक भाग में, “निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में वनरोपण के लिए किसी ऐसी निधि में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 35गगख की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित की जाए, संदत्त कोई राशि” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर “निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्ववर्ष में वनरोपण के लिए किसी ऐसी निधि में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 35गगख की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित की जाए, संदत्त कोई राशि” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

- 30 31. आय-कर अधिनियम की धारा 80जजघ की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

धारा 80जजघ का संशोधन ।

(i) खंड (ग) में, “बीस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, “पच्चीस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे;

- 35 (ii) खंड (घ) में, “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, “पन्द्रह प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

धारा 80झक का संशोधन ।

- (क) उपधारा (2) में, “या औद्योगिक पार्क का विकास करता है” शब्दों के पश्चात् “या उपधारा (4) के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है या विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षित और प्रचालित करता है” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (7) में, “जहां निर्धारिती, कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति है वहां किसी औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभों से उपधारा (1) के अधीन कटौती” शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “किसी औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों से उपधारा (1) के अधीन कटौती” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

धारा 80झख का संशोधन ।

- 45 (क) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(7क) किसी बहुविध थिएटर की दशा में कटौती की रकम निम्नलिखित होगी,—

(क) आरंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए किसी स्थान में किसी बहुविध थिएटर के निर्माण, स्वामित्व और चलाने के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का पचास प्रतिशत :

- 50 परंतु इस खंड की कोई बात कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई की नगरपालिक अधिकारिता के भीतर (चाहे नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी बोर्ड या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) किसी स्थान में अवस्थित किसी बहुविध थिएटर को लागू नहीं होगी ;

(ख) खंड (क) के अधीन कटौती केवल तभी अनुज्ञेय होगी, यदि—

(i) ऐसा बहुविध थिएटर जो, 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय निर्मित किया जाता है ;

(ii) बहुविध थिएटर का कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित करके, पुनः संरचना करके या किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी भवन का या मशीनरी या संयंत्र का ऐसे कारबार में अंतरण करके नहीं बनाया गया है;

(iii) निर्धारिती, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित आय की विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं और लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए देता है कि कटौती का दावा सही किया गया है ।

(7ख) किसी अभिसमय केंद्र की दशा में कटौती की रकम निम्नलिखित होगी,—

(क) निर्धारिती द्वारा आरंभिक निर्धारण वर्ष को आरंभ होने वाली पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए उसकी ओर से निर्मित किसी अभिसमय केंद्र के निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का पचास प्रतिशत ;

(ख) खंड (क) के अधीन कटौती केवल तभी अनुज्ञेय होगी, यदि—

(i) यदि ऐसा कन्वेंशन केंद्र 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय निर्मित किया जाता है ;

(ii) कन्वेंशन केंद्र का कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित करके या उसकी पुनः संरचना करके या किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी भवन या किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार में अंतरण करके नहीं बनाया गया है ;

(iii) निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं और लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए दे देता है कि कटौती का दावा सही किया गया है ; ”;

(ख) उपधारा (14) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(कक) “कन्वेंशन केंद्र” से विहित क्षेत्र का ऐसा कोई भवन अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे कन्वेंशन हाल हैं जिनका प्रयोग सम्मेलन और सेमिनार आयोजित किए जाने के लिए किया जाता है तथा जिनका आकार और संख्या ऐसी है और जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सुख-सुविधाएं हैं, जो विहित की जाएं ;’;

(ii) खंड (ग) के उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(v) बहुविध थिएटर की दशा में, निर्धारण वर्ष से उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें ऐसा सिनेमा हाल जो उक्त बहुविध थिएटर का भाग है, वाणिज्यिक आधार पर कार्य करना आरंभ करता है ;

(vi) कन्वेंशन केंद्र की दशा में निर्धारण वर्ष से उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें कन्वेंशन केंद्र वाणिज्यिक आधार पर कार्य करना आरंभ करता है ;”;

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(घक) “बहुविध थिएटर” से विहित क्षेत्र का ऐसा कोई भवन अभिप्रेत है, जिसमें दो या अधिक सिनेमा थिएटर और वाणिज्यिक दुकानें हैं, जिनका आकार और संख्या ऐसी है और जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सुख-सुविधाएं हैं, जो विहित की जाएं ;’।

नई धारा 80ड का अंतःस्थापन ।

कतिपय अंतरनिगमित लाभों की बाबत कटौती ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 80उ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘80ड. (1) जहां किसी देशी कंपनी की किसी पूर्ववर्ष की सकल कुल आय में किसी अन्य देशी कंपनी से लाभों के रूप में प्राप्त कोई आय सम्मिलित है वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ऐसी देशी कंपनी की कुल आय की संगणना करने में उस अन्य देशी कंपनी से लाभों के रूप में प्राप्त आय की रकम के बराबर उतनी रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, जो नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रथमवर्णित देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभों की रकम से अधिक नहीं है ।

(2) जहां देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभों की रकम की बाबत कोई कटौती किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात की गई है वहां किसी अन्य पूर्ववर्ष में ऐसी रकम की बाबत कटौती अनुज्ञात नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “नियत तारीख” पद से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख अभिप्रेत है ।’।

धारा 88 का संशोधन।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 88 में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

‘(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई निर्धारिती, जो कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, अपनी कुल आय पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य आय-कर की रकम में से (जो इस अध्याय के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व संगणित की गई है) —

(i) किसी व्यक्ति या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी सकल कुल आय, अध्याय 6क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व, एक लाख पचास हजार रुपए या उससे कम है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि के बीस प्रतिशत के बराबर कटौती का हकदार होगा ;

परंतु यह कि कोई व्यक्ति, उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशि के योग के तीस प्रतिशत की राशि के बराबर कटौती का हकदार होगा यदि उसकी आय, “वेतन” शीर्ष के अधीन,—

(क) धारा 16 के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व, पूर्ववर्ष के दौरान एक लाख रुपए से अधिक नहीं है ; और

(ख) धारा 80ख की उपधारा (5) में यथापरिभाषित उसकी सकल कुल आय नब्बे प्रतिशत से कम नहीं है ;

(ii) किसी व्यक्ति या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी सकल कुल आय, अध्याय 6क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व, एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है किंतु पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि के बीस प्रतिशत के बराबर कटौती का हकदार होगा ;

(iii) किसी व्यक्ति या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी सकल कुल आय अध्याय 6क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व पांच लाख रुपए से अधिक है, किसी कटौती का हकदार नहीं होगा ।”;

(ख) उपधारा (2) में, “कर से प्रभार्य उसकी आय में से” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“ (3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशियां, पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय संदत्त या निक्षिप्त की जाएंगी और निर्धारिती, जो कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, उपधारा (1) के अधीन ऐसी संदत्त या निक्षिप्त कुल राशि में से उतनी कटौती का हकदार होगा, जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान कर से प्रभार्य निर्धारिती की कुल आय से अधिक नहीं है ।”;

(घ) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“ (5) जहां उपधारा (2) के खंड (i) से खंड (xvii) में निर्दिष्ट किसी राशि का योग अस्सी हजार रुपए की रकम से अधिक है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे योग के उतने भाग के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो अस्सी हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है :

परंतु यह कि जहां उपधारा (2) के खंड (i) से खंड (xv) में निर्दिष्ट किसी राशि का योग साठ हजार रुपए की रकम से अधिक है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे योग के उतने भाग के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो साठ हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है :

परंतु यह और कि जहां उपधारा (2) के खंड (xv) में निर्दिष्ट किसी राशि का योग बीस हजार रुपए की रकम से अधिक है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे योग के उतने भाग के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो बीस हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है ।”;

(ङ) उपधारा (5क) का लोप किया जाएगा ;

(च) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 89 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी और 1 अप्रैल, 1996 से रखी गई समझी जाएगी, धारा 89 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

25 “89. जहां कोई निर्धारिती वेतन के रूप में कोई ऐसी राशि प्राप्त करता है, जिसका संदाय बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाता है या किसी एक वित्तीय वर्ष में बारह मास से अधिक के लिए वेतन या ऐसा संदाय प्राप्त करता है, जो धारा 17 के खंड (3) के उपबंधों के अधीन वेतन के बदले में लाभ है या धारा 57 के खंड (ii) के स्पष्टीकरण में परिभाषित कुटुंब पेंशन के रूप में कोई राशि प्राप्त करता है, जिसका संदाय बकाया के रूप में किया जाता है, जिसके कारण उसकी कुल आय उस दर से उच्चतर दर पर निर्धारित की जाती है, जिससे वह अन्यथा निर्धारित की जाती, वहां निर्धारण अधिकारी, उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर ऐसी राहत दे सकेगा, जो विहित की जाए ।”।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 92 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 92 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

“92. (1) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से प्रोद्भूत होने वाली किसी आय की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी । असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से आय की संगणना।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से प्रोद्भूत किसी व्यय या ब्याज के लिए मोक का अवधारण भी असन्निकट कीमत को ध्यान में रख कर किया जाएगा ।

(2) जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार में दो या अधिक सहयुक्त उद्यम ऐसे किसी एक या अधिक उद्यमों को उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए जाने वाले किसी फायदे, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत किए गए या उपगत किए जाने वाले किसी खर्च या व्यय के, यथास्थिति, आबंटन या प्रभाजन के लिए या उसमें किसी अंशदान के लिए कोई पारस्परिक करार या ठहराव करते हैं वहां ऐसे किसी उद्यम को, यथास्थिति, आबंटित या प्रभाजित या उसके द्वारा अंशदान किए गए खर्च या व्यय का अवधारण, यथास्थिति, ऐसे फायदे, सेवा या सुविधा की असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

(3) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होंगे जिनमें उपधारा (1) के अधीन आय की संगणना या उस उपधारा के अधीन किसी व्यय या ब्याज के लिए मोक का अवधारण या उपधारा (2) के अधीन, यथास्थिति, आबंटित या प्रभाजित या अंशदान किए गए किसी खर्च या व्यय का अवधारण करने का प्रभाव उस पूर्ववर्ष की बाबत, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का करार किया गया था, लेखा बहियों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर संगणित, यथास्थिति, कर से प्रभार्य आय को कम करना या हानि को बढ़ाना है ।”।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 92क की उपधारा (2) में, “(2) दो उद्यम, सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे, यदि पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय,—”, कोष्ठकों, अंक और शब्दों के स्थान पर “(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, दो उद्यम, सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे, यदि पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय,—” कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे । धारा 92क का संशोधन।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 92ग में,—

धारा 92ग का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां एक से अधिक कीमत का अवधारण सर्वाधिक उपयुक्त रीति से किया जाता है, वहां असन्निकट कीमत को, या निर्धारिती के विकल्प पर ऐसी कीमत को, जो ऐसी अंकगणितीय औसत के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम द्वारा अंकगणितीय औसत से भिन्न हो, ऐसी कीमत का अंकगणितीय औसत माना जाएगा ।”;

(ख) उपधारा (4) के दूसरे परंतुक में, “अधीन कर की कटौती कर ली गई है” शब्दों के पश्चात्, “या कटौती-योग्य थी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।